आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

18/5/18

आदेश

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–12.02.2018 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में परिवादी पंकज कुमार, पिता–रामावतार सिंह, ग्राम–मालडीह, पो0–करंजा, भाया–खेसर, थाना व प्रखंड–शंभूगंज, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110109091701941/2A वर्ष–2018 पंकज कुमार बनाम प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभुगंज है।

इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक–585 दिनांक–03.05.18 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। मामला मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से संबंधित परिवाद पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभूगंज द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है। निर्धारित तिथि पर परिवादी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभूगंज की सुनवाई की गयी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभूगंज द्वारा प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायत–मालडीह के वार्ड सं0–07 एवं 08 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से कार्य किया गया है जबकि ग्राम पंचायत- मालडीह के वार्ड सं0–07 एवं 08 लक्षित वार्ड नहीं है। इनके द्वारा अपने अधिकार से सरकारी नियमों के विरूद्व कार्य किया गया है जो गंभीर आरोप है। इसके लिए पूर्ण रूप से पंचायत सचिव श्री सुरेश प्रसाद यादव दोषी है क्योंकि मार्गदर्शिका के विरूद्व कार्य किया गया है। श्री यादव से स्पष्टीकरण पूछा गया है जिसका जवाब अबतक अप्राप्त है।

आगे यह भी अंकित किया गया है कि परिवादी का यह आरोप सही नहीं है कि उक्त कार्य मनरेगा योजना से कर राशि निकासी किया गया है। इस आरोप की जांच प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, शंभूगंज द्वारा संयुक्त रूप से करायी गयी। जांच से स्पष्ट है कि कार्य मनरेगा योजना से नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंभूगंज दोषी पंचायत सचिव के विरूद्व विधिवत् आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' में शीघ्र गठित कर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बांका के माध्यम से समर्पित करें। तद्आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

18/5/18

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।